न्यायालय उपजिलाधिकारी सोजत

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | हुक्म की तामील में जारी हुये

बमुकद्दमा मातप्रसाद vs सरकार
प्रार्थनापत्र धारा 136 LR Act

मु० नं० 15/20

11/1/21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी एवं पेशकार सरकार हाजिर, बहस उभय पक्ष सुनी गयी। तथ्य इस प्रकार से है कि यह प्रकरण प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी ख० नं० 6755/4154 रकबा 1.518 हेक्टेयर स्थित ग्राम बसईधीयाराम तहसील सोजत का प्रार्थी खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्तकार। अप्रार्थी सं० 1 एवं उसके कर्मचारीगण ने प्रार्थी के कब्जे से हटकर अन्य किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने के लिए विवादित आराजी की तरमीम अन्य आराजी ख० नं० 4154/6667 के पार्श्व के बजाय 6754/4154 के दाक्षिण में 6686/4141 के उत्तर में गलत कर दी है, जहाँ पर भीखाराम पत्नी पूरन सिंह का कब्जा है और प्रार्थी 6754/4154 के पार्श्व में है और भीखाराम की तरमीम भी उसके कब्जे से हटकर कर दी है। जो शुद्ध किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थी सं० 1 के कार्यालय में निवेदन करने पर तरमीम शुद्ध करने पर साफ इंकार किया गया तब प्रार्थी द्वारा तरमीम शुद्ध कराने के लिए न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं तरमीम शुद्धि के आदेश देने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 7/1/21 को इस न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा जवाब के साथ मौका पर्चा प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी के भाई एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। अपने जवाब में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म ... में जा...

कथन किया है कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा बताई गयी जगह पर तरमीम की गई व आज भी मौके की स्थिति को मिलाया गया तो ख़सरा नं० की तरमीम प्रार्थी के कब्जे के अनुसार सही पाई गई। इसलिए प्रार्थी का वाद इसी स्तर पर निरस्त योग्य है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा तथ्यों पर गौर किया गया।

प्रार्थी का दावा मय जवाब एवं मौका पर्चा तथा संलग्न नक्शा का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि मौके पर जब पटवारी द्वारा जाँच करायी गया तो प्रार्थी दिल्ली गया हुआ था, प्रार्थी के भाई को मौके पर बुलाया गया उसके सामने ही मौके पर मौके की तथा नक्शा 6755/4184 की स्थिति को मिलाया गया तो ख.नं. तरमीम प्रार्थी के कब्जे के अनुसार सही पायी गयी। प्रार्थी का भाई एव उपस्थित व्यक्ति अनुसार के उन्होंने मौका पर्चा पर हस्ताक्षर भी किये जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार एव निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131 RTA एव 136 RTA काबिल खारिजी होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली बाद मल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो हुक्म सुनाया गया। x [signature]

उप खण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)